

पक्षकारों एवं अ
आदि के ह

अभिभाषक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 952/11/2011 विरुद्ध आदेश दिनांक 26-5-11-पारित-
अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल - प्रकरण कमांक 717 / 2009-10 अपील

1- देवी सिंह पुत्र शिवजीराम
2- शिवजीराम पुत्र स्व. गंगाराम
निवासी ग्राम राधानगर
तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़
विरुद्ध

—आवेदकगण

मोहन सिंह पुत्र स्व. गंगाराम
निवासी ग्राम राधानगर
तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़

—अनावेदक

आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव
अनावेदक के अभिभाषक के.के.द्विवेदी

आदेश

(आज दिनांक 2-4 - 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक
प्रकरण कमांक 717 / 2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-5-11 के
विरुद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।


2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि तहसीलदार सारंगपुर द्वारा प्रकरण कमांक
21/अ-27/94-95 में पारित आदेश दिनांक 5-1-95 से देवी सिंह पुत्र शिवजीराम
एवं गंगाराम पुत्र भंवरजी लोधा के बीच ग्राम राधानगर के खाता कमांक 51 रकबा
5.154 हैक्टर का बटवारा किया गया। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी,
सारंगपुर के यहां मोहनसिंह द्वारा अपील करने पर प्रकरण कमांक 33/अ-
27/03-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-6-2004 से अपील विलम्ब से प्रस्तुत
होने के कारण निरस्त की गई। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त,
भोपाल/होशंगावादा संभाग, भोपाल के समक्ष अपील होने पर प्रकरण
कमांक 417/03-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-2-06 से अनुविभागीय



अधिकारी का आदेश दिनांक 14-6-04 निरस्त किया गया तथा अपील को समयावधि में मानकर गुणदोष पर निराकरण के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित हुआ। इस आदेश के विरुद्ध राजस्व मण्डल, ग्वालियर में निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 946/11/06 में पारित आदेश दिनांक 17-6-2008 से निगरानी निरस्त हुई।

अनुविभागीय अधिकारी, सारंगपुर जिला राजगढ़ के यहां प्रकरण वापिस आने पर अपील क्रमांक 66/अ-27/2009-10 में हितबद्ध पक्षकारों को श्रवण कर आदेश दिनांक 19-8-2010 पारित किया तथा तहसीलदार के आदेश दिनांक 5.1.95 को निरस्त कर प्रकरण पुर्नसुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 717/09-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-5-11 से अपील निरस्त की गई एवं अनुविभागीय अधिकारी, सारंगपुर का आदेश दिनांक 19-8-2010 स्थिर रखा गया। अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

- 3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
- 4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि जिस भूमि के बटवारे का प्रकरण है, भूमि का मूल भूमिस्वामी गंगाराम है जिसके दो पुत्र कमशः शिवजीराम एवं मोहन सिंह हैं जबकि तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 21/अ-27/1994-95 में बटवारे का दावा प्रस्तुतकर्ता देवीसिंह पुत्र शिवजीराम है जो मूल भूमिस्वामी गंगाराम के पुत्र का पुत्र (नाती) है इस प्रकरण में अनावेदक गंगाराम को बनाया है तथा गंगाराम के दो पुत्र शिवजीराम एवं मोहन सिंह को बटवारे में पक्षकार बनाना छोड़ दिया गया। इसी प्रकार गंगाराम की पुत्रियां (यदि हैं) को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि पैत्रिक संपत्ति में पुत्र/पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है, जिसके कारण तहसीलदार द्वारा दिये गये बटवारा आदेश दिनांक 5.1.95 को अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर ने निरस्त करके प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु




प्रत्यावर्तित किया है, जहाँ उभय पक्ष को लेखी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं अपना-अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है, जिसके कारण अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने प्र. क. 716/09-10 में पारित आदेश दिनांक 26-5-11 से अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 717/09-10 में पारित आदेश दिनांक 26-5-11 तथा अनुविभागीय अधिकारी, सारंगपुर जिला राजगढ़ के प्रकरण कमांक 66/अ-27/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-8-2010 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती पाये गये हैं।

1. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)- धारा 44 सहपठित 50 - निचले न्यायालयों के निष्कर्ष समरूप - अपील/निगरानी में तथ्य सम्बन्धी प्रश्नों पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है।
2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)- धारा 44 सहपठित 50 - निचले न्यायालयों द्वारा सम्बद्ध विषयों पर समुचित परीक्षण कर लिया - स्पष्ट निष्कर्ष निकाले गये - अपील/निगरानी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

अनुविभागीय अधिकारी, सारंगपुर के आदेश दिनांक 19-8-2010 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों पर उभय पक्ष को श्रवण कर प्रत्येक दृष्टिकोण से विवेचना उपरांत भलीभाँति निष्कर्ष निकाले हैं एवं अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल ने भी अपील मेमो के तथ्यों का गहनता से परीक्षण कर अपीलाधीन आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी सारहीन पाई गई है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। परिणामतः अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा प्रकरण कमांक प्रकरण कमांक 717 /2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-5-11 स्थिर रहता है।


 (अशोक शिवहरे)
 सदस्य
 राजस्व मंडल
 मध्य प्रदेश ग्वालियर